

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

K. V. DA

महाशय

03/04/23

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कृपा नन्द प्रसाद पिता-स्व० श्री पर, प्रसाद
ग्राम लोकाई पो० लोकाई थाना कोडरमा
जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा मालिप्राई
2. थाना कोडरमा
3. थाना नं० 324
4. खाता नं० 1, 5
5. प्लॉट नं० 135, 144
6. रकबा 03 डी० 05 डी०
7. भूमि का किस्म रंगली
8. अद्यतन रसिद नं० 0556973605
9. दा० खारजि वाद संख्या 3945/2021-2022

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

कृपा नन्द प्रसाद

विश्वासभाजन

7067393336

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...11.7.../2023

02.03.2023

आवेदक कृपा नन्द प्रसाद पिता स्व० श्रीधर प्रसाद, साकिन-लोकाई, पोस्ट-लोकाई, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
मलियाई	324	1	135	3 डी०	रैयती
		5	144	5 डी०	

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक1.0...../..03...../2023 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

10.03.2023

08.04.2023

अभिलेख उपस्थापित

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मलियाई, थाना नं०-324, खाता सं०-1, प्लॉट सं०-135, रकवा-3 डी० एवं खाता सं०-5, प्लॉट सं०-144, रकवा-5 डी० कुल रकवा-8 डी० भूमि पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-24 भाग संख्या-10 पर कृपा नन्द प्रसाद पिता स्व० श्रीधर प्रसाद के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवालासं०-7401 दिनांक-25.12.2010 द्वारा प्राप्त है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-3945/2021-22 दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-64 दिनांक 31.01.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-मलियाई, थाना नं०-324, खाता सं०-1, प्लॉट सं०-135, रकवा-3 डी० एवं खाता सं०-5, प्लॉट सं०-144, रकवा-5 डी० कुल रकवा-8 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।